न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 667–पीबीआर/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 14–12–2011 पारित द्वारा अपर कलेक्टर जिला भोपाल प्रकरण कमांक 112/निगरानी/10–11.

अगर सिंह पुत्र स्व. नंदराम
निवासी ग्राम पुरामनभावन
तहसील हुजूर जिला भोपाल .....आवेदक

विरूद्ध

1– श्रीमती श्यामाबाई पत्नी बलिराम
निवासी ग्राम धमर्रा
तहसील बैरसिया जिला भोपाल
2– श्रीमती सरस्वती बाई पत्नी स्व. गुलाब सिंह
निवासी ग्राम मुडियाखेडा
तहसील बैरसिया जिला भोपाल
3– श्रीमती सूरज बाई पत्नी बाबूलाल
निवासी ग्राम पुरामनभावन
तहसील हुजूर जिला भोपाल
4– प्रेमनारायण
5– गोकुल
6– नवल सिंह
पुत्रगण स्व. नंदराम
निवासीगण ग्राम पुरामनभावन
तहसील हुजूर जिला भोपाल
7– श्रीमती कमला बाई पत्नी अमर सिंह
निवासी बरखेड़ा पठानी
तहसील हुजूर जिला भोपाल
8– श्रीमती जमनी बाई पत्नी स्व. थानसिंह
9– अशोक कुमार
10– राजकुमार
पुत्रगण स्व. थानसिंह
निवासीगण ग्राम पुरामनभावन
तहसील हुजूर जिला भोपाल

11– श्रीमती कुंताबाई पत्नी चंदनसिंह
निवासी ग्राम मनीखेड़ी
तहसील बैरसिया जिला भोपाल
12– श्रीमती गीता बाई पत्नी ओमप्रकाश
निवासी टीला जमालपुरा, भोपाल
13– श्रीमती बुलबुल पत्नी दिनेश
निवासी ग्राम बरखेड़ा बोंदर.
तहसील हुजूर जिला भोपाल .....अनावेदकगण

श्री आर0डी0 पटेल, अभिभाषक, आवेदक
श्री दीपक मालवीय, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/3/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–12–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम पुरामनभावन तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित सर्वे कमांक 142 रकबा 0.60 हेक्टेयर एवं सर्वे कमांक 143 रकबा 1.00 हेक्टेयर भूमि की अभिलिखित भूमिस्वामी आवेदक की मॉ श्रीमती गजरी बाई थी । श्रीमती गजरीबाई का दिनांक 5–2–2006 को स्वर्गवास होने के पश्चात अनावेदकगण की ओर से उत्तराधिकार के आधार पर एवं आवेदक द्वारा पंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण किये जाने हेतु तहसील न्यायालय, हुजूर जिला भोपाल के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 9–7–2008 प्रकरण में प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में स्वत्व का प्रश्न उपस्थित होने से व्यवहार न्यायालय से वसीयत प्रोवेट होने तक कार्यवाही स्थगित करते हुए आगामी पेशी दिनांक 13–10–2008 नियत की गई । तहसील न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा स्वत्व के निराकरण हेतु व्यवहार न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया । वाद प्रचलित रहने के दौरान तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 13–10–2008 को पुनः कार्यवाही प्रारंभ कर पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त करते हुए दिनांक 15–12–2008 को फौती नामांतरण स्वीकृत किया गया । उक्त नामांतरण

आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी हुजूर जिला भोपाल के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 28–5–2011 को आदेश पारित कर अपील अवधि बाह्य होना मानकर निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर, जिला भोपाल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 14–12–2011 को आदेश पारित कर इस निष्कर्ष के साथ निगरानी निरस्त की गई कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए, अंतिम आदेश के विरूद्ध निगरानी में गुण–दोष पर विचार नहीं किया जा सकता है । अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण दिनांक 29–12–2016 को इस निर्देश के साथ आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था कि उभय पक्ष के अभिभाषक 10 दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु अनावेदकगण की ओर से नियत अवधि में लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, अतः प्रकरण का निराकरण आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्क एवं अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है । आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसील न्यायालय द्वारा पूर्व में व्यवहार न्यायालय से स्वत्व के निराकरण के साथ कार्यवाही स्थगित की गई थी तत्पश्चात बिना आवेदक को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये तहसील न्यायालय द्वारा नामांतरण आदेश पारित कर दिया गया है, जिसकी जानकारी आवेदक को होने पर उसके द्वारा कारण दर्शाते हुए अवधि विधान की धारा 5 के साथ प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस स्थिति पर बिना विचार किये कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को बिना सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया गया है, अपील अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है ।

(2) माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय तथा राजस्व मण्डल द्वारा अनेक न्याय दृष्टांत प्रतिपादित किये गये हैं कि समय–सीमा पर विचार करते समय उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, और यदि हितबद्ध पक्षकार को सूचना नहीं दी गई है, तब जानकारी के दिनांक से समय–सीमा की गणना की जायेगी । इस संबंध में 2010 आर.एन. 157 एच.सी. (डी.बी.) , 1984 आर.एन. 313, 1988 आर.एन. 218, 2009 आर.एन. 64 एवं

2006 आर.एन. 143 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए उनके प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने का उल्लेख किया गया, और चूंकि अपर कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के उपरोक्त वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये आदेश पारित किया गया है, इसलिए उनका आदेश भी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

(3) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र का निराकरण करते समय आवेदन पत्र अस्वीकार किया गया है, जिसके विरूद्ध अपील में सुनवाई की जाना संभव नहीं है, अतः अपर कलेक्टर द्वारा यह निष्कर्ष के साथ निगरानी निरस्त करने में त्रुटि की गई है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अपील आदेश है, जिसके विरूद्ध निगरानी में सुनवाई नहीं की जा सकती है ।

4/ शेष अनावेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपर तहसीलदार पहले तो वसीयतनामा probate होने तक प्रकरण लम्बित रखा गया, फिर अचानक ही दिनांक 15–12–08 को आवेदक की अनुपस्थिति में नामांतरण आदेश पारित किया गया है । चूंकि अपर तहसीलदार द्वारा आवेदक की अनुपस्थिति में आदेश पारित किया गया था, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी को उनके समक्ष प्रस्तुत अपील समय–सीमा में मान्य करना था, क्योंकि पूर्णतः अवैधानिक आदेश को समय–सीमा जैसे तकनीकी बिन्दु के आधार पर स्थिर रखा जाना वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही नहीं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–5–2011 निरस्त किया जाता है एवं उनके समक्ष प्रस्तुत अपील समय–सीमा में मान्य करते हुए प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को गुण–दोष पर निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर